संख्या 16 /XXVIII(4)2005–02/2005

प्रेषक,

एस0के0दास,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4

देहरादून दिनांक 16 मई ,2005

विषय– वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 422/XXVII(1)/2005 दिनांक 30 मार्च, 2005 तथा संख्या 527A/XXVII(1)/2005 दिनांक 26 अप्रैल,2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 की आय–व्ययक की मांगे स्वीकृत होने व तत्संबंधी विनियोग अधिनियम ,2005 पारित होने के फलस्वरूप चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (ऐलोपैथी) विभाग की योजनाओं की कियान्वयन हेतु अनुदान संख्या –12 के अन्तर्गत मानक मद – वेतन ,मंहगाई भत्ते , अन्य भत्ते तथा अनुदान के रूप में सरकारी सेवकों तथा गैर सरकारी सेवकों के वेतन एवं बचनबद्व मदों में मजदूरी,विद्युत देय, जलकर किराया ,पेंशन ,औषधि , भोजन व्यय, पैट्रोल,टेलीफोन तथा अन्य आवश्यक व्ययों को भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में उपरोक्त बचनबद्व मदों में (दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से दिनांक 30 अप्रैल, 2005 तक वित्तीय स्वीकृतियों को सम्मिलित करते हुए) आयोजनागत पक्ष में रू0 444032 हजार (रू0 चवालीस करोड़ चालीस लाख बतीस हजार मात्र) तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 1471591 हजार (रू0 एक अरब सैतालीस करोड पन्द्रह लाख इकानबे हजार मात्र) इस प्रकार कुल कुल रू0 1915623 हजार (रू0 एक अरब इकानबे करोड़ छप्पन लाख तेइस हजार मात्र)की धनराशि को सलंग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार इस प्रतिबन्ध के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि आहरण के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभागा द्वारा आबंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:–

1– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2— यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युअल के नियमों के अनतर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3— अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए न छोड़ी जाय।

4— आबंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्यक उपलब्ध करा दिये जाय।

5— मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा ।

6— व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें लेखा शीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय ।

7— स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नक यथोपरि :—

भवदीय,

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0— 16 /XXVIII(4)2005–02/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
3— समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
4— समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
5— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,उत्तरांचल ।
6— अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल ।
7— वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/ एन.आई.सी./6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव